न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27/2020 नामान्तरकरण अपील

1. रामपति देवी पत्नि प्रसादी लाल बैरवा निवासी जहांगिरिया तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक पुत्र रामनाथ राजोरिया जाति खटीक निवासी राजधानी अस्पताल के पास आगरा रोड दौसा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 11.01.2013 तहसीलदार सिकराय कैम्प कालवान में रामपति देवी के स्थान पर विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 01 के नाम खोला गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– 1 :श्री चन्द्रमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: श्री योगेश जाखड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 24.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कालवान तहसील सिकराय में आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट का हिस्सा 6/16 दर्ज अंकित है। उक्त खसरा नम्बर 115 सेटलमेन्ट से पूर्व के है। सिकराय में वर्तमान सेटलमेन्ट हो चुका है। सैटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि के नये नम्बर 194 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 195 रकबा 5.39 है. कुल खसरा 2 रकबा 5.40 है. बने है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण में से 6/16 हिस्सा भूमि अर्थात् 160.125 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के हिस्से में आती है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि में से हिस्सा 2/9 की भूमि अर्थात् 35.58 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को दिनांक 25.2.2009 को विक्रय किया है जिसका नामान्तरकरण 1623 दिनांक 11.1.2013 तहसीलदार सिकराय द्वारा कैम्प कालवान में रामपति देवी के स्थान पर विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम अपीलान्ट के हिस्से की भूमि 160.125 बिस्वा भूमि के 2/9 हिस्सा अर्थात् 35.58 बिस्वा के बजाय सम्पूर्ण भूमि रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा में से 2/9 हिस्सा की भूमि अर्थात् 94.88 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही खोला गया है। जिससे व्यथित होकर नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 11.01.2013 कैम्प कालवान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामा. अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण में से 6/16 हिस्सा भूमि अर्थात् 160.125 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के हिस्से में आती है। अपीलान्ट

अति. जिला कलक्टर
दौसा

ने अपने हिस्से की भूमि में से हिस्सा 2/9 की भूमि अर्थात् 35.58 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अशोक पुत्र रामनाथ राजोरिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.2.2009 को विक्रय किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा विक्रय पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए सम्पूर्ण भूमि रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा में से 2/9 हिस्सा की भूमि अर्थात् 94.88 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये खोला गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 तहसीलदार सिकराय को 35.58 बिस्वा से ज्यादा भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी। उक्त सन्दर्भ में जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु यह अपील पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 11.1.2013 कैम्प कालवान में रामपति देवी के स्थान पर विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खोले गये अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में से 2/9 हिस्सा अर्थात् 35.58 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम तस्दीक करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अशोक पुत्र रामनाथ राजोरिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.2.2009 द्वारा किये गये भूमि बेचान के अनुसार यदि नामान्तरकरण खोला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार सरकार द्वारा भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकितानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के हिस्से की 160.25 बिस्वा भूमि के 2/9 हिस्सा अर्थात् 35.58 बिस्वा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट द्वारा बेचान किया गया है। किन्तु नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 115 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा में से 2/9 हिस्सा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड का गौरपूर्वक अवलोकन कर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 11.01.2013 ग्राम कालवान तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड का गौरपूर्वक अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official